दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 17 अक्टूबर, 2023
उद्घोषित किया गया: 21 दिसंबर, 2023

रि.या.(आप.)1891/2023 आप.वि.आ. 17499/2023 (स्टे)

आर.के.गुप्ता और अन्य
.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री एन. हरिहरन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुश्री रंजना रॉय गवाई, सुश्री वसुधा सेन, श्री विनीत वाधवा, श्री शारियन मुखर्जी, श्री मुईद शाह, सुश्री पुण्य रेखा अंगारा और श्री प्रतीक भल्ला, अधिवक्तागण।

बनाम

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और अन्य द्वारा भारत संघ
.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अमित तिवारी, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता श्री चेतन्या पुरी, सरकारी प्लीडर।
श्री नितिन अग्निहोत्री, एस. एफ. आई. ओ. के अभियोजक के साथ श्री श्रीराम तिवारी, श्री सलमान रज़ी, श्री उपान्शु, श्री नितिन अग्निहोत्री, अधिवक्तागण

कोरमः
माननीय श्री न्यायमूर्ति अमित शर्मा

निर्णय

न्या. अमित शर्मा

1. वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.') की धारा 482 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई है:

i. प्रत्यर्थी सं. 2/ गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा प्रस्तुत शीर्षक 'भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और अन्य की जांच रिपोर्ट' और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही दिनाँक 06.05.2022 की जाँच रिपोर्ट को अभिखंडित/अपास्त कर दिया।

ii. मंजूरी पत्र दिनांकित 19.05.2022 अर्थात, एफ.स. विधिक 35/15/2022 को प्रत्यर्थी सं.1/ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अभियोजन शुरू करने के लिए गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को मंजूरी प्रदान करने वाले को अभिखंडित/अपास्त करना।

iii. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश - 03 और विशेष न्यायाधीश (कंपनी अधिनियम), द्वारका जिला न्यायालय, दिल्ली के समक्ष दायर शिकायत दिनांकित 19.05.2022 को अभिखंडित करें।

iv. सी.सी.सं. 374/2022 शीर्षक 'एस.एफ.आई.ओ. बनाम भूषण एयरवेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य' में विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनाँक 20.09.2022 के बुलावे आदेश को अपास्त करें।

V. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश एफ.न. 05/5/2016-सीएल-II दिनाँक 03.05.2016 के तहत भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ('बीपीइसएल') और अन्य के मामलों में गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को आगे की जाँच से रोकें।

<u>पृष्ठभूमि</u>

2. संक्षेप में कहा गया है, वर्तमान याचिका के' न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक वर्तमान मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

i. प्रत्यर्थी सं. 1/ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 212 (1) (ग) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनाँक 03.05.2016 को एफ. स. 5/5/2016-सीएल-II के माध्यम से उक्त आदेश में नामित 15 कंपनियों के मामलों की जाँच का आदेश दिया।

ii. दिनाँक 12.05.2016, 30.08.2019, 31.12.2020 और 28.10.2021 के आदेशों के माध्यम से, प्रत्यर्थी सं .2/गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ('एस.एफ.आई.ओ'), ने जाँच के लिए निरीक्षकों की एक टीम नियुक्त/अधिसूचित की गई।

iii. जाँच के दौरान, दिनाँक 03.05.2016 के आदेश को देखते हुए, एस. एफ.आई.ओ. ने अपने दिनांकित 27.12.2017 के अपने पत्र के माध्यम से अधिनियम की धारा 219 (ग) के संदर्भ में 20 अतरिक्त कंपनियों के मामलों में जाँच की अनुमति मांगी| उपरोक्त के अलावा, एस.एफ.आई.ओ. ने भी 46 अन्य कंपनियों के मामलों की जांच करने के लिए मंजूरी मांगी।

iv. 08.01.2018 पर, एम.सी.ए., ने एस.एफ.आई.ओ. के निरीक्षकों को एस.एफ.आई.ओ. द्वारा माँगी गई उपरोक्त सभी 66 कंपनियों के मामलों की जाँच, करने के लिए अधिकृत किया है।

v. दिनाँक 06.05.2022 को, एस.एफ.आई.ओ.ने अधिनियम की धारा 212 (12) के तहत 'भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और अन्य' की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की।

vi. दिनाँक 19.05.2022 पर, एम.सी.ए. ने एक स्वीकृति पत्र जारी किया, जिसमें अधिनियम के तहत एस.एफ.आई.ओ. को अपराधों के किए जाने के लिए याचीगण के खिलाफ अभियोजन शुरू करने का निर्देश दिया गया।

vii. उसी दिन, यानी, दिनाँक 19.05.2022 को, एस.एफ.आई.ओ. ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-03 के न्यायालय और विशेष न्यायाधीश (कंपनी अधिनियम), द्वारका जिला न्यायालय, दिल्ली के समक्ष 'गंभीर

कपट अन्वेषण कार्यालय बनाम भूषण' एयरवेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' शीर्षक से सीसी सं. 374/2022 शिकायत दर्ज की।

viii. उक्त शिकायत में, याचिकाकर्ता सं.1/आर. के. गुप्ता को कंपनी अधिनियम की धारा 447, 36 (ग) 448 के साथ पठित धारा 447 और 129; भारतीय दंड संहिता, 1860 (भ.दं.सं.) की धाराएँ 417, 420, 120 (ख) धारा 211 और कंपनी अधिनियम की धारा 628 के साथ पठित के तहत अपराध करने के लिए आरोपी सं. 45 के रूप में पेश किया गया था याचिकाकर्ता सं. 2 / सिल्वर - स्टार कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत अपराधों के किए जाने के लिए अभियुक्त सं. 34 के रूप में पेश किया था। याचिकाकर्ता सं.3/डेकोर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को भ.दं.सं. की धारा 417,420, 120(ख) और और कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत अपराध करने की लिए अभियुक्त सं. 13 के रूप में पेश किया था।

ix. दिनाँक 20.09.2022 पर, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने उपरोक्त शिकायत पर संज्ञान लिया और याचीगण को समन देना जारी किया।

<u>याचीगण की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

याचीगण सं.1 और 2 की जाँच करने के लिए एस.एफ.आई.ओ. के पास कोई अधिकारिता या विधिक मंजूरी/प्राधिकरण नहीं है।

3. याचीगण के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जहाँ तक याचीगण सं.1 और 2 का संबंध है, एस.एफ.आई.ओ. के पास ऐसा अधिनियम की धारा 212 (1) या धारा 219 के संदर्भ में जाँच करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त प्रावधानों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

> **"212. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों की जांच ।**- (1) धारा 210 के प्रावधानों प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ केंद्र सरकार की राय है, की गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा किसी कंपनी के मामलों की जाँच करना आवश्यक है -
>
> (क) धारा 208 के तहत रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर;
>
> (ख) एक कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव की सूचना पर कि उसके मामलों की जाँच की आवश्यकता है;
>
> (ग) लोक हित में; या
>
> (घ) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, उक्त कंपनी के कार्यो की जाँच गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को सौंप सकेगी और उसका निदेशक, ऐसी जाँच के प्रयोजन के लिए उतनी संख्या में निरीक्षकों को पदनामित कर सकेगा जितना वह आवश्यक समझे।
>
> **"219. संबंधित कंपनियों के मामलों की जाँच करने के लिए निरीक्षक की शक्ति आदि।**- यदि किसी कंपनी के मामलों की जाँच करने के लिए धारा 210 या धारा 212 या धारा 213 के तहत नियुक्त एक निरीक्षक जाँच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझता है, तो इन मामलों की भी जाँच करेगा-
>
> (क) कोई अन्य निगमित निकाय जो, किसी भी प्रासंगिक समय पर कंपनी की सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी, या अपनी होल्डिंग कंपनी एक सहायक कंपनी है या रही है;

(ख) कोई अन्य निगमित निकाय जो किसी भी प्रासंगिक समय पर कोई व्यक्ति द्वारा प्रबंध निर्देशक या प्रबंधक के रूप में है या प्रबंधन किया है जो उस कंपनी का प्रबंधन निर्देशक या प्रबंधक किसी भी प्रासंगिक समय पर है या था;

(ग) कोई अन्य निगमित निकाय जिसके निर्देशकों के बोर्ड में कंपनी के उत्तराधिकारी शामिल है या कंपनी या इसके कोई भी निर्देशकों के निर्देशों या सूचना के अनुसार कार्य करने के लिए परिचित है; या

(घ) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रासंगिक समय पर कंपनी का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या कर्मचारी है या रहा है।

वह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, अन्य निगमित निकाय या प्रबंधन निर्देशक या प्रबंधक के मामलों की जांच करें और रिपोर्ट करेगा जहाँ तक वह समझता है कि उसकी जाँच के परिणाम मामलों की जाँच के लिए प्रासंगिक हैं जिस कंपनी के लिए उसे नियुक्त किया गया है।"

3.1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एस.एफ.आई.ओ. मात्र अधिनियम की धारा 212 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार या उक्त अधिनियम की धारा 219 के संदर्भ में मांगी गई पूर्व स्वीकृति के अनुसार जाँच कर सकता है इस न्यायालय का ध्यान अधिनियम की धारा 212 (1) (ग) के तहत शक्तियों के प्रयोग में एम.सी.ए. द्वारा जारी दिनाँक 03.05.2016 के आदेश की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें एस.एफ.आई.ओ. को 15 कंपनियों के मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय का ध्यान दिनाँक 08.01.2018 के आदेश की ओर आकर्षित किया गया, जिसके तहत एम.सी.ए. ने

एस.एफ.आई.ओ. को अधिनियम की धारा 219 (ख) और 219 (ग) के संदर्भ में 66 अन्य कंपनियों के मामलों की जाँच करने के लिए अधिकृत किया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचीगण सं. 1 और 2 का नाम उक्त आदेशों में से किसी में भी नहीं है और इसलिए, एस.ए.आई.ओ. के पास उनकी जाँच करने का कोई अधिकार नहीं था।

3.2. यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 219 में 'पूर्व अनुमोदन' शब्दों का विशिष्ट उपयोग इंगित करता है कि विधायिका का इरादा एक किसी व्यक्ति/कंपनी के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा उपाय शामिल करना है और यह सुनिश्चित करना है की उक्त अधिनियम में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई जाँच नही की जाए।

3.3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 212 (14) एक कंपनी, उसके अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने का अभियोजन करती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि एक कंपनी / निगमित निकाय के खिलाफ जाँच शुरू करने के लिए, अधिनियम, की धारा 212 (1), 219 (क), 219 (ख) या 219 (ग) के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जैसा भी मामला हो और कंपनी के अधिकारी के अधिकारी या किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 219 (घ) के तहत अनुमोदन आवश्यकता है। उपरोक्त के अलावा, यहाँ अधिनियम में कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो एस. एफ.आई.ओ. द्वारा की जाने

वाली जाँच को अधिकृत करता है और इसलिए, उपरोक्त प्रावधानों में से किसी के संदर्भ में ऐसे प्राधिकरण की अनुपस्थिति में, एस.एफ.आई.ओ. याचिकाकर्ता सं. 1 और 2 की जाँच नहीं कर सकता था।

एस.एफ.आई.ओ. की शक्तियाँ केवल कंपनी अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच करने तक सीमित हैं

4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की योजना के साथ-साथ ही दं.प्र.सं., के अनुसार, एस.एफ.आई.ओ. की शक्ति केवल अधिनियम के तहत जाँच करने तक सीमित है और यह भा.दं.सं. के तहत अपराधों तक विस्तारित नही है।

4.1. यह प्रस्तुत किया गया था कि याचीगण सं. 1 और 3 को अधिनियम के साथ-साथ भा.दं.सं. के तहत कथित रूप से अपराध करने के लिए आरोपी बनाया गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दं.प्र.सं. की धारा 154 के साथ पठित धारा 4 के अनुसार, भा.दं.सं. के तहत अपराधों की जाँच करने की शक्ति और अधिकारिता केवल 'पुलिस अधिकारी' के पास है।

4.2. इस न्यायालय का ध्यान अधिनियम की धारा 212 (2) धारा 212 (17) की ओर आकर्षित किया गया, जो निम्नानुसार उपबंध करता है:

> **"212. गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों की जांच।–**
>
> *** *** ***

(2) जहां इस अधिनियम के तहत जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को कोई मामला सौंपा गया है, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की कोई अन्य जांच अभिकरण इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के संबंध में ऐसे मामले में जांच के साथ आगे नहीं बढ़ेगी और यदि ऐसी कोई जांच पहले ही शुरू की जा चुकी है, तो इसे आगे नहीं बढ़ेगी और यदि ऐसी कोई जाँच पूर्व में ही शुरू की जा चुकी है, तो इसे आगे नही बढाया जाएगा और संबंधित अभिकरण ऐसे अपराधों के संबंध में संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों को गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को स्थानांतरित करेगी ।

*** *** ***

(17) (क) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की जाँच कर रहा है, तो कोई अन्य जाँच अभिकरण, राज्य सरकार, पुलिस प्राधिकरण, आयकर प्राधिकारी जिनके पास ऐसे अपराध के सम्बंध में कोई जानकारी या दस्तावेज है, वे गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को उसके पास उपलब्ध सभी जानकारी या दस्तावेज प्रदान करेंगे;

(ख) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय किसी भी जाँच अभिकरण, राज्य सरकार, पुलिस प्राधिकरण या आयकर प्राधिकारियों के साथ उपलब्ध किसी भी जानकारी या दस्तावेज को साझा करेगा, जो किसी भी अन्य कानून के तहत इसके द्वारा किसी अपराध या मामले की जाँच या छानबीन कि जा रही के सम्बंध में ऐसी जाँच करने वाली एजेंसी, राज्य सरकार, पुलिस प्राधिकरण या आयकर प्राधिकारियों के लिए प्रासंगिक या उपयोगी हो सकती है |"

4.3. यह निवेदन किया गया था कि उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन दर्शाता है कि यदि एस.एफ.आई.ओ. अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच कर रहा है, तो कोई अन्य प्राधिकरण अधिनियम के तहत ऐसे अपराध के संबंध में जाँच जारी नही रख सकता और इसके अतिरिक्त एकत्र की गई सभी जानकारी को एस.एफ.आई.ओ. के साथ साझा करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है की एस.एफ.आई.ओ. किसी अन्य कानून के तहत अपराधों के संबध में अपने पास मौजूद जानकारी और सामग्री को अनिवार्य रूप से ऐसी जाँच अभिकरण या पुलिस प्राधिकरण आदि के साथ साझा करने के लिए बाध्य है जो किसी अन्य कानून के तहत उक्त अपराध की जाँच/परीक्षण कर रहा है।

4.4. यह निवेदन गया था कि उपरोक्त प्रावधानों का एक संयुक्त पठन, इस प्रकार, यह स्पष्ट करता है कि एस.एफ.आई.ओ. के पास केवल अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने का अधिकार है और वर्तमान मामले में, एस.एफ.आई.ओ. ने अपने अधिकार का क्षमता से अधिक प्रयोग किया है क्योंकी उसने भा.दं.सं. के तहत याचीगण सं. 1 और 3 के संबंध में भी जाँच की है उक्त प्रतिविरोध के समर्थन में, **मनीष रंगारी और अन्य बनाम भारत संघ अन्य, 2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन बम. 3226 और असीम मैत्रा और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, 2008 (3) सीएचएन 143** पर भरोसा किया था।

4.5. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया की अधिनियम स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं करता है कि एस.एफ.आई.ओ. भा.दं.सं. के तहत अपराधों के सबंध में जाँच करने में सक्षम में है और जिसका विधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान नही है। उसे निहितार्थ या अनुमान के माध्यम से नहीं पढ़ा जा सकता है। **बी. शंकर राव बादामी और अन्य. बनाम मैसूर राज्य और अन्य, (1969) 1 एस.सी.सी. 1** (पैरा 14), **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमन मित्तल और अन्य (2019) 19 एस.सी.सी. 740** (पैरा 29 और 30) और **भारत संघ और अन्य वी.तुलसीराम पटेल, (1985) 3 एससीसी 398** (पैरा 70) पर भरोसा किया था।

एस.एफआई.ओ. द्वारा आगे की जांच अस्वीकार्य है।

5. याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान अधिनियम की धारा 212 (12) की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो निम्नानुसार प्रावधानित है:

> **"212. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों की जाँच।—**
>
> *** *** ***
>
> (12) जाँच पूरी होने पर, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय केंद्र सरकार को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

5.1. यह निवेदन किया गया था कि दिनाँक 06.05.2022 को अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी, एस.एफ.आई.ओ. आगे की जाँच कर रहा है और वर्तमान मामले में विभिन्न व्यक्तियों को सम्मन देना जारी कर रहा है। याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया की यह अस्वीकार्य है साथ ही यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 212 (12) पढने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है जाँच पूरी होने पर एक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती थी। साथ ही यह निवेदन किया था की विद्वान विशेष न्यायाधीश ने एस.एफ.आई.ओ. द्वारा दायर शिकायत का भी संज्ञान लिया है, इस आधार पर की वर्तमान मामले में जाँच पूरी हो गई है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया की अधिनियम की योजना ऐसी किसी भी प्रक्रिया का प्रावधान नहीं करती है जो एस.एफ.आई.ओ. को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आगे की जांच जारी रखने के लिए अधिकृत करती है। उक्त प्रतिविरोध के समर्थन में, **विनय त्यागी बनाम इरशाद अली और अन्य, (2013) 5 एस.सी.सी.** 762 पैरा 49 और 50) पर भरोसा किया गया था।

याचीगण की ओर से भरोसा किया गए निर्णय

6. अपने प्रतिविरोधो के समर्थन में, याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

i. मेसर्स फ्रिक इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (1990) 1 एस.सी.सी. 400 - पैरा 8.

ii. अशोक कुमार दास बनाम बर्दवान विश्वविद्यालय, (2010) 3 एस.सी. सी. 616- पैरा 11 से 15 तक।

iii. यू.पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, 1995 पूरक (3) एस.सी.सी. 456 - पैरा 6.

iv. राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम पी. पी. सिंह और अन्य, (2003) 4 एस.सी.सी. 239 पैरा 40।

v. एल.आई.सी. बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, (1985) 1 एस.सी.सी. 264-पैरा 63।

vi. ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंड उर्फ़ अन्य, (2021) 6 एससीसी 707-पारा 14।

vii. नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर, (1936) 38 बौमलर. 987।

viii. सनी अब्राहम बनाम भारत संघ, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1284 - पैरा 13

ix. चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद, ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 3558 - पैरा 17

x. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम एल.के.रत्न, (1986) 4 एस. सी.सी. 537-पैरा 2 और 11

xi. पंजाब राज्य और अन्य बनाम गुरदियाल सिंह और अन्य, (1980) 2 एस.सी.सी. 471 पैरा 9

xii. बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, ए.आई.आर 2000 एस. सी. 3243- पैरा 27।

xiii. केरल राज्य बनाम पुथेनकावु एन.एन.एस. करयोगम और अन्य, (2001) 10 एस.सी.सी. 191 डब्ल्यू पैरा 9।

xiv. सी. अल्बर्ट मॉरिस बनाम के. चंद्रशेखरन और अन्य, (2006) 1 एस.सी.सी. 228 - पैरा 42

XV. उपेन चंद्र गोगोई बनाम असम राज्य और अन्य, (1998) 3 एस.सी. सी. 381 पैरा 6

xvi. पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर, ए.आई.आर 2012 एस. सी. 364 - पैरा 107

xvii. युसोफल्ली मुल्ला बनाम किंग एम्परर, ए.आई.आर. 1949 पी. सी. 264 - पैरा 14

xviii. मनीष रंगारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2020 एस.सी. सी. ऑनलाइन बम. 3226 - पारा 7।

xix. पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, (1999) 6 एस.सी.सी. 172-पैरा 28 और 55

XX. हुसैन घडियाली बनाम गुजरात राज्य, (2014) 8 एस.सी.सी. 425 - पैरा 21.3

<u>प्रत्यर्थीगण की ओर से निवेदन</u>

कंपनी अधिनियम की धारा 219 के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है

उक्त अधिनियम की धारा 212 (14) के तहत किसी व्यक्ति या संस्था पर अभियोजन करने के लिए।

7. एस.एफ.आई.ओ. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ने निवेदन किया की अधिनियम की धारा 212 (14) के तहत एक व्यक्ति पर अभियोजन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 219 के अंतर्गत के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

7.1. अधिनियम की धारा 212 (14) में निम्नलिखित प्रावधान करती है:

> **"212. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों की जाँच ।—**
>
> *** *** ***
>
> (14) जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार, रिपोर्ट की जाँच के पश्चात (और इस इस प्रकार की कानूनी सलाह लेने के बाद, जैसा कि उचित समझ सकते हैं), और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन, शुरू करने का निर्देश दें जो कंपनी में कार्यरत है या कार्यरत रहें है या कोई अन्य व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के मामलों से जुड़ा हुआ है।"

7.2. यह निवेदन किया गया था कि अधिनियम की धारा 219 एक निरीक्षक को कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 212 के तहत नियुक्त को सशक्त बनाती है और यदि वह उस जाँच के उदेश्य के लिए आवश्यक समझता है, तो के मामलों में भी जाँच करें:

i. कोई अन्य निगमित निकाय:

- जो कंपनी की सहायक कंपनी है या रही है

- जिसे उसी प्रबंधक या प्रबंधन निर्देशक द्वारा कंपनी के रूप में प्रबंधन किया जाता है या किया गया है
- जिसके निर्देशकों के बोर्ड में उत्तराधिकारी शामिल है या कंपनी या इसके कोई भी निर्देशकों के निर्देशों या सूचना के अनुसार कार्य करने के लिए परिचित है

ii. कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रासंगिक समय पर कंपनी में प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या कर्मचारी रहा है।

यह निवेदन किया गया था कि अधिनियम की धारा 219 में इसके आलावा प्रावधान है कि अतिरिक्त /आगे की जांच केवल केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ की जा सकती है।

7.3. विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 212 के संदर्भ में अनुमोदन के अभाव में याचीगण की ओर से इस पर प्रतिविरोध किया गया है किसी भी कंपनी या व्यक्ति, पर अभियोजन करने के लिए धारा 219 के तहत शर्तों की मंजूरी आवश्यक है। यह निवेदन किया गया की उक्त प्रतिविरोध उचित नही है। विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ने निवेदन किया की सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह नोट किया जाना चाहिए की अधिनियम की धारा 212 और 219 विभिन्न क्षेत्रों में लागू होती है। यह निवेदन किया गया था की अधिनियम की धारा 212 कंपनी के मामलों की जाँच को सक्षम बनाती है जो की उक्त अधिनियम की धारा 212(12) के तहत

और/या धारा 212(14) के तहत अभियोजन करना के तहत की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मार्ग दर्शन करती है। इसलिए, जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि किसी कंपनी के मामलों की जाँच शुरू करने के लिए अधिनियम की धारा 212(1) अनिवार्य है। यह निवेदन किया गया था कि धारा 219 एस.एफ.आई.ओ. को किसी निगमित निकाय (संबंधित एक कंपनी के लिए जो कार्यवाहियों को अधिनियम की धारा 212 के तहत शुरू की गई है), प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या कर्मचारी के मामलों की जांच करने में शसक्त बनता है जब यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 212 के अनुसार कंपनी की जाँच करने के लिए ऐसी जाँच आवश्यक है| यह निवेदन किया गया था इसलिय कि, अधिनियम की धारा 219 एक सहायक प्रावधान है और इसे केवल तभी लागू करने की आवश्यकता है। जब जाँच कंपनी/व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो जिसके लिए अनुमोदन अधिनियम की धारा 212 के संबंध में दिया है| यह निवेदन किया गया था कि अधिनियम की धारा 212 (14), केंद्र सरकार के निर्देशों पर, एस.एफ.आई.ओ. को किसी कंपनी और उसके अधिकारियों या कर्मचारियों या '*किसी अन्य व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के मामलों से जुड़ा हुआ*' को अभियोजन करने के लिए सशक्त करती है। यह निवेदन किया कि *कंपनी के मामलों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ कोई अन्य व्यक्ति की* जाँच के लिए अधिनियम की धारा 212 (1) या धारा 219 के तहत *किसी भी मामले की जांच के लिए* पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता के लिए कोई शर्त नहीं है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ने प्रस्तुत

किया कि यह गलत होगा यह बताना कि प्रत्येक व्यक्ति की जाँच के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है जिस पर आरोप लगाने की मांग की गई थी।

7.4. विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि याचीगण के पूर्व अनुमोदन के आवश्यकता के संबंध में प्रतिविरोध को स्वीकार किया जाता है, तो यह अधिनियम की धारा 212 में नियोजित *'कंपनी के मामले'* वाक्यांश के दायरे को कम करता है। इसके अलावा, यह भी अनिवार्य होगा कि कोई लेन-देन एक व्यक्ति/अन्य इकाई और एक कंपनी के मध्य न हो (जिसके लिए एक अधिनियम की धारा 212 के तहत अनुमोदन) पर अधिनियम की धारा 219 के तहत अनुमोदन के बिना पूर्व विचार किया जा सकता है।

7.5. यह निवेदन किया गया था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जैसा कि निर्धारित किया गया है जाँच रिपोर्ट में, स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि सिल्वर स्टार कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड / प्रत्यर्थी सं-2 के मामलों में निम्नलिखित कारणों से जाँच न करना एक उचित निर्णय था:

i. एस.एफ.आई.ओ. के अधिकारियों, ने बी.पी.एस.एल. से संबंधित फोरेंसिक रिपोर्टों से, नोट किया कि बड़ी राशि विभिन्न पक्षों की ओर से बकाया थी और 'आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम' और 'पूँजी अग्रिम' के शीर्षक के तहत रखा थी

ii. एक बार जब धन के लेन-देन के चिन्ह को देखा गया, तो यह पाया गया कि जिन पक्षकारों पर बकाया शेष राशि है जो .बी.पी.इस.एल, के लेखा बहीखातों के अनुसार जिमेदार है। ऐसी संस्थाएं जिनका .बी.पी.इस.एल.

के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था। इन संस्थाओं के द्वारा प्राप्त किया धन बी.पी.इस.एल. के लिए केवल आवास प्रविष्टि उपलब्ध कराने के लिए था। इस प्रकार प्राप्त धन बी.पी.इस.एल. कर्मियों के निर्देश पर, श्री संजय सिंघल द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित संस्थाओं को प्रेषित किया गया था। इन पर नियंत्रण रखने वाले संबंधित व्यक्ति इकाइयाँ, यानी प्रवेश प्रचालक, अपने बयानों में इसे स्वीकार करते हैं इसे शपथ पर दर्ज किया गया।

iii. एस.एफ.आई.ओ. ने पाया कि उपरोक्त प्रवेश प्रचालक के साथ लगातार 05 से लेकर 06 वर्षो तक नियमित लेन-देन किए जाते है, बदले में, प्रवेश प्रचालक बी.पी.एस.एल. से प्राप्त धन को श्री संजय सिंघल, स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं में 'शेयर एप्लीकेशन मनी' या 'शेयर प्रीमियम' के रूप हस्तांतरित किया गया। पश्चात इन संस्थाओं द्वारा प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों /प्रयोजनों के लिए किया गया था। ऐसा ही एक उद्देश्य 'प्रवर्तक इक्विटी' के रूप में बी.पी.एस.एल. में धन को वापस लाना था। सिल्वर स्टार कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड / प्रत्यर्थी सं. 2 को नियमित प्राप्तकर्ता नहीं पाया गया था और यह भी नहीं पाया गया कि इसका उपयोग बी.पी.एस.एल. से गबन किए गए धन को 'प्रमोटर इक्विटी' के रूप में बी.पी.एस.एल. में वापस लाने के लिए किया गया था।

iv. 10 करोड़ रुपये की राशि के के लेनदेन में मात्र एक उदाहरण पाया गया था जिसमें सिल्वर स्टार कमर्शियल कंपनी प्राइवेट

लिमिटेड/याचिकाकर्ता सं.2 को शामिल होना पाया गया। 2015-2016 में बी.पी.एस.एल. से गबन किए गए धन को सिल्वर स्टार कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड/याचिकाकर्ता को प्रवेश संचालकों से असुरक्षित ऋण के रूप और फिर उसे श्री संजय संघल द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित एक अन्य इकाई में स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा, सिल्वर स्टार द्वारा प्राप्त धन वाणिज्यिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड/याचिकाकर्ता सं. 2 को केवल उपरोक्त इकाई को भेज दिया गया था। उक्त धनराशि बी.पी.एस.एल. की 'प्रवर्तक इक्विटी' में वापस डालने का कोई उदाहरण नहीं मिला था।

v. हालांकि, तथ्य यह है कि सिल्वर स्टार कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड/याचिकाकर्ता सं. 2 ने गबन की गई धनराशि प्राप्त की, जिसका जाँच रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति अर्जित करने के लिए उपयोग किया जाना था जो साकार नही हो। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि सिल्वर स्टार वाणिज्यिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड / याचिकाकर्ता सं. 2 गबन किए गए धन की लाभार्थी नहीं थी।

vi. एस.एफ.आई.ओ. ने बी.पी.एस.एल. में अपनी जाँच को पूरक करने के लिए सिल्वर स्टार कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड / याचिकाकर्ता सं. 2 के मामलों को देखना अप्रासंगिक माना है। सिल्वर स्टार कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड / याचिकाकर्ता सं. 2 लाभार्थियों में से केवल एक था और इसलिए,

अधिनियम की धारा 447 के तहत अपराध के लिए उचित रूप से आरोपित किया गया था।

7.6. सिल्वर स्टार कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड/याचिकाकर्ता सं.2 और डेकोर इन्वेस्टमेंट **और** फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड/याचिकाकर्ता सं. 3 की स्थिति के बीच अंतर प्रदर्शित करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ने तालिका को अभिलेख पर रखा:

क्र.सं.	**विशेष**	**डेकोर निवेश और फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**	**सिल्वर स्टार वाणिज्यिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड**
1.	जाँच की तिथि क्रम में	आदेश के तहत आदेश दिया गया 5/5/2016 सीएल-II दिनांकित 03.05.2016	एन. ए.
2.	वह प्रावधान जिसके तहत जाँच के आदेश दिए गए थे	अधिनियम की धारा 212 (1) (ग)	एन. ए.
3.	आरोप	क) आरोप 1, उदाहरण 2 - पूँजी अग्रिमों के माध्यम से बी.पी.एस.एल.से धन का गमन। ख) आरोप 1, उदाहरण 3- आपूर्तिकर्ताओं को	आरोप 1, उदाहरण 8 - सिल्वर स्टार कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को असुरक्षित ऋण।

		अग्रिम के माध्यम से बी.पी.एस.एल. से धन का गमन। ग) आरोप 3- भा.दं.सं. की धारा 120ख/417/420 के तहत दंडनीय होने के लिए उत्तरदायी बैंकों की धोखाधड़ी।	
4.	प्रावधान जिसके तहत आरोपित किया गया	अधिनियम की धारा 447 और भा.दं.सं. की धारा 120ख, 417 और 420	अधिनियम की धारा 447
5.	आरोपों का सार ।	• जाँच के दौरान यह पाया गया कि बी.पी.एस.एल. की पुस्तको ने “पूँजीगत अग्रिम” और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के कुल शीषर्क के अंतर्गत 2606 करोड़ और 470 करोड़ रूपये की राशी दर्ज की । • जाँच में, यह पाया गया की जिन संस्थाओं की बकाया राशी (बी.पी.एस. एल. के लिए भुगतान) को	• सिल्वर स्टार कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को वित्त वर्ष 2015-2016 में विभिन्न प्रविष्टि प्रचालकों से असुरक्षित ऋण के रूप में 10 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। बदले में, इन प्रविष्टि प्रचालकों को .बी.पी.एस.एल **से** धन प्राप्त हुआ था(जिसे तब "आपूर्तिकर्ताओं को

		उपरोक्त लेखांकन शीर्षक के अंतर्गत पुन: दर्ज किया गया था,उन्हें प्रविष्टि प्रचालक द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया गया था । • प्रविष्टि प्रचालक **से** पूछताछ करने पर पता चला कि उनका बी.पी.एस.एल. के साथ कोई वाणिज्यिक संबंध नहीं है। उन्होंने बी.पी.एस.एल. से धन प्राप्त किया, उसी के लिए आवास प्रविष्टियां प्रदान कीं और उन निधियों को श्री संजय सिंघल द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया। • ऐसी एक इकाई जिसे उपरोक्त तरीके से प्रविष्टि प्रचालकों से धन प्राप्त हुआ था, वह डेकोर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड थी। डेकोर इन्वेस्टमेंट	अग्रिम" और "पूंजीगत अग्रिम" के रूप में गिना जाता था)। • जबकि 10 करोड़ रुपयों के असुरक्षित ऋण का प्रारंभिक उद्देश्य संपत्ति की खरीद के लिए था, ऐसा प्रतीत होता है कि 10 करोड़ रुपयों की राशि बी.एस.एन. एंटरप्राइजेज और एक असुरक्षित ऋण के लिए आगे स्थानांतरित कर दी गई थी।

		एंड फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 2011-2012, 2012-2013 और 2013-2014 के बीच लगातार फंड प्राप्त किए गए थे और शेयर पूंजी के निवेश या शेयर प्रीमियम के रूप में दर्ज किए गए थे। • इन निधियों को तब बी.पी.एस.एल. में प्रवर्तक योगदान के रूप में शामिल किया गया था।	
6.	धोखाधड़ी में संलिप्तता	• बी.पी.एस.एल.से निधियों की लेन-देन की सुविधा के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग किया जाता है। • बी.पी.एस.एल. से निकाले गई निधियों को डेकोर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त किया गया था, फिर डेकोर ने बीपीएसएल से गमन कि हुई	• यह कंपनी गमन की गई निधियों की लाभार्थी थी। • यह कंपनी प्रविष्टि प्रचालकों से लगातार निधियों प्राप्त करती नहीं पाई गई।

		निधियों को बी.पी.एस.एल. में संप्रवर्तक योगदान के रूप में डाल दिया। • 2011-2014 के बीच गबन की गई निधियों की लगातार प्राप्ति, जिसे तब बी.पी.एस.एल में संप्रवर्तक योगदान के रूप में डाला गया था।	
7.	धोखाधड़ी के लिए शामिल पहलू	• इस इकाई के न केवल पैसों की राउंड ट्रिपिंग की सुविधा प्रदान की, इसने बी. पी. एस. एल. से प्रवर्तक योगदान के रूप में गबन किए राशी को डालकर बैंकों को भी ठगा ।	• इस प्रकार अधिनियम की धारा 447 के तहत इस अभियुक्त को आरोपी के रूप में रखा गया है

7.7. यह निवेदन किया गया था कि एस.एफ.आई.ओ. को अधिनियम की धारा 212 (1) (ग) के तहत डेकोर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड/ याचिकाकर्ता सं.3 की जाँच करने के लिए मंजूरी थी। यह निवेदन किया गया था कि जहाँ तक श्री आर. के. गुप्ता/याचिकाकर्ता सं.1 का संबंध है, वह बी.पी.एस.एल. के प्रमुख-प्रबंधकीय कार्मिक और कंपनी सचिव थे। जो उक्त

कंपनी के मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे और इसलिए, उसके लिए किसी भी अधिकार की कभी आवश्यकता नहीं थी। यह निवेदन किया गया कि अधिनियम की धारा 219 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता एक कंपनी सचिव, तक विस्तृत नहीं होती है, जो अधिनियम की धारा 2 (51) में परिभाषित एक 'प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक' है, जैसा की निम्नानुसार है:

> "(51) - किसी कंपनी के संबंध में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का अर्थ है -
>
> (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक;
>
> **(ii) कंपनी सचिव;**
>
> (iii) पूर्णकालिक निदेशक;
>
> (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी; और
>
> (v) ऐसा अन्य अधिकारी जो विहित किया जा सकता है;"
>
> *(*जोर दिया गया)

यह निवेदन किया गया था कि उपरोक्त को देखते हुए किसी अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की जांच के लिए कोई मंजूरी नहीं मांगी गई थी ।

7.8. उपरोक्त तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अनुमोदन की अनुपस्थिति में, अपने आप में, जांच और परिणामी कार्यवाहियाँ को दूषित नहीं करती है। **फर्टिको मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य**

बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो और अन्य, (2021) 2 एस.सी.सी. 525 पर भरोसा जताया गया।

भा.दं.सं. के तहत अपराधों की जांच करने के लिए एस.एफ.आई.ओ. की शक्ति

8. इस न्यायालय का ध्यान कंपनी अधिनियम, की धारा 212 (2) और 436 (2) की ओर आकर्षित किया गया था। जो निम्नानुसार प्रावधान करता है:

> **"212. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों की जाँच।-**
>
> *** *** ***
>
> (2) जहां इस अधिनियम के तहत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को केंद्र सरकार द्वारा कोई मामला सौंपा गया है, वहाँ कोई अन्य केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की अन्य जाँच अभिकरण इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के सम्बन्ध में ऐसे मामले में जांच आगे नही बढ़ाएगी और यदि इस प्रकार की जाँच पहले ही इस मामले में हो शुरू हो चुकी है, इसे आगे नही बढ़ाया जाएगा और संबंधित अभिकरण इस अधिनियम के तहत के ऐसे अपराधों के सबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों को गंभीर कपट अन्वेषण जाँच कार्यालय को हस्तांतरित करेगी ।"
>
> **"436. विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध।-**
>
> *** *** ***
>
> (2) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का विचारण करते समय, एक विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध विचारण कर सकेगा, जिसके साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा।"

8.1. विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिकता ने निवेदन किया कि उपरोक्त प्रावधान सामंजस्यपूर्ण तरीके से निर्माण किया जाना है, इस तरह से जो केवल अधिनियम के तहत अपराधों को जाँच करने के लिए एस.एफ.आई.ओ. की शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं करता है। और यह प्रस्तुत किया गया था की अधिनियम की धारा 436 (2) को केवल पढ़ने मात्र से यह पता चलता है कि अधिनियम के तहत अपराधों के साथ-साथ किसी भी अन्य अपराध के साथ जिसमें एक अभियुक्त पर दं.प्र.सं. के तहत आरोप लगाया जा सकता है, और विशेष न्यायालय द्वारा एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। यह निवेदन किया गया था कि उक्त प्रावधान एस.एफ.आई.ओ. जाँच के साथ-साथ अभियोजन की अधिकारिता भी देता है। **राज कुमार मोदी बनाम गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, 2019:पीएचएचसी:133009** में माननीय पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया था।

8.2. विद्वान वरिष्ठ पैनल ने अधिवक्ता **आशीष भल्ला बनाम राज्य और अन्य, 2023:डीएचसी:6808** में एक समन्वय न्यायपीठ द्वारा किए गए निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। जिसमें जबकी एक प्राथिमिकी को अभिखंडित करते हुए और एस.एफ.आई.ओ. को उसके तहत कार्यवाही को स्थानांतरित करते समय, यह देखा गया था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

"91. नतीजतन, अंत में आते हुए, यदपि, वर्तमान मुकदमेबाजी और निष्कर्षों पर, अंतिम बात करने से पूर्व यह न्यायालय स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहता है कि उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स और और कानूनी प्रस्ताव, के अवलोकन के पश्चात जो ऊपर बात की है, बाद में आक्षेपित प्राथमिकी के पंजीकरण के अनुसार ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा की गई जाँच (की जानी है) अभिखंडित करने योग्य है क्योंकि एस.एफ.आई.ओ. कार्यवाही के रूप में की गई पूर्व चल रही जाँच अधिनियम 2013 से उत्पन्न हुई है, जो एक विशेष अधिनियम है, सामान्य अधिनियम, भा.दं.सं. से अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा इसमें शामिल आरोपों की समानता के कारण, जिसमें, आक्षेपित प्राथमिकी में लगाए गए आरोप हैं पहले से ही शामिल है और इस प्रकार एस.एफ.आई. ओ. द्वारा एम.सी.ए. को की गई दिनाँक 14.06.2021 की पहली शिकायत के परिणामस्वरूप उसके द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान विचार किया जाएगा।

92. इसलिए, यहाँ ऊपर की गई चर्चाओं ने इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पंहुचाया है कि ई.ओ.डब्ल्यू. को दिनाँक 15.08.2021 की दूसरी शिकायत, जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो की वर्तमान रूप में बनाये रखने योग्य नही है, इसके अलावा, पहली शिकायत दिनाँक 14.06.2021 और दूसरी शिकायत दिनाँक 15.08.2021 शब्दशः और तथ्यों को एक ही समूह को सम्मिलित कर रहे है और एक ही व्यक्ति(ओं) के खिलाफ है और एक ही शिकायतकर्ता द्वारा यानी प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा की गया है। इसके अलावा, धारा 212 (17)(क) को ध्यान में रखते हुए दिनांकित 15.08.2021 से विवादित प्राथमिकी आर. के पंजीकरण के परिणामस्वरूप ई. ओ. डब्ल्यू. नहीं है वर्तमान रूप में बनाए रखने योग्य, इसके अलावा, जहाँ से पहली शिकायत दिनांकित 14.06.2021 और दूसरी शिकायत दिनांकित 15.08.2021 हैं शब्दशः और तथ्यों के एक

ही सेट को शामिल कर रहे हैं और बहुत के खिलाफ हैं एक ही व्यक्ति (ओं) और एक ही शिकायतकर्ता द्वारा बनाए गए हैं अर्थात, उत्तरदाता नं.2 इसके अलावा, 2013 अधिनियम की धारा 212(2) के साथ पठित धारा 212(17) को ध्यान में रखते हुए और अभिलेखों के साथ पक्षों के विद्वान् (वरिष्ठ) अधिवक्तागण द्वारा उठाए गए सभी प्रतिविरोधों पर आधारित है, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, आक्षेपित प्राथमिकी अभिखंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी थी और एस.एफ.आई.ओ. को स्थानांतरित की जाती है क्योंकि इसके तहत कार्यवाही कानून की नजर में किए जाने जाने के योग्य नहीं है"

8.3. उपरोक्त प्रतिविरोध के समर्थन में, एस.एफ.आई.ओ. के विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ने आप.मू.य.3730/21 शीर्षक **'रवि पार्थसारथी और अन्य बनाम राज्य और अन्य'(**पैरा 62, 65**,** 74, 75 और 112) में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनाँक 31.08.2021 के निर्णय पर भरोसा जताया है। इसके अतिरिक्त **गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय बनाम राहुल मोदी और अन्य इत्यादी, 2019 आईएनएससी 408** (पैरा 29) पर भी भरोसा जताया है।

<u>याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रत्युत्तर</u>

9. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 219 (घ) में 'किसी भी व्यक्ति' के संबंध में अनुमोदन की आवश्यकता का प्रावधान है। जिसमें किसी कंपनी से संबंधित कोई व्यक्ति शामिल होगा जिसे लिए अधिनियम की धारा 212 के तहत पूर्व अनुमोदन दिया

गया और इसलिए, आर.के.गुप्ता / याचिकाकर्ता सं.1 की जाँच करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता थी।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि जहाँ तक भा.दं.सं. (2), के तहत एस.एफ.आई.ओ. की शक्ति का सवाल है, हालांकि धारा 436 यह प्रावधान करती है कि अधिनियम और भा.दं.सं. के तहत अपराधों पर एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है, परन्तु यह एस.एफ.आई.ओ. को भा.दं.सं. के तहत अपराधों की जांच करने की अधिकारिता नहीं देता है। यह निवेदन किया गया था कि अधिनियम की योजना के अन्दर, अधिनियम के तहत अपराधों के आलावा अन्य अपराधों की जाँच करने की एस.एफ.आई.ओ. की शक्ति पर रोक अंतर्निहित है। उक्त प्रतिविरोध के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 212 (15) और 212 (17) की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

एस.एफ.आई.ओ. के पास याचिकाकर्ता सं.1 और 2 की जाँच करने की अधिकारिता या विधिक/अधिकार

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि एस.एफ.आई.ओ. ने अधिनियम की धारा 212 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन या अधिकार के अनुसार या संबंधित कंपनियों के मामलों की जांच करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 219 के संदर्भ में पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के

पश्चात जाँच को जारी रख सका था। यह इंगित किया गया था अधिनियम की धारा 212 (1) (ग) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एम.सी.ए, द्वारा जारी दिनांकित 03.05.2016 के आदेश, में एस.एफ.आई.ओ. को 15 कंपनियों के मामलों के जाँच करने की लिए अधिकृत किया गया था एम.सी.ए, द्वारा जारी दिनांकित 08.01.2018 के आदेश द्वारा, एस.एफ.आई.ओ. को अधिनियम की धारा 212 (ख)(ग) के संदर्भ में 66 अन्य कंपनियों के मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया की माना जाता है की याचिकाकर्ता सं. 1 और 2 का नाम उपरोक्त किसी भी आदेश में नही दिया गया है और इसलिए, एस. एफ.आई.ओ. के पास उनकी जाँच करने का कोई अधिकार नहीं था।

12. यह निवेदन किया गया था कि चूंकि धारा 219 की भाषा स्पष्ट रूप से एक निगमित निकाय और एक कंपनी के मध्य अंतर करता है। यह आग्रह किया गया कि 'कंपनी' शब्द उस कंपनी से संबंधित है जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 212 (1) के तहत पहले से ही मंजूरी दी जाती है और शब्द 'बॉडी कॉरपोरेट्स' अधिनियम के 219 (क), (ख) और (ग) के तहत प्रदान किए गए स्पष्टीकरण से संबंधित है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 219 (घ) के तहत संदर्भित व्यक्ति/एकल, को कम्पनी से जुड़ा होना चाहिए, न की निगमित निकाय से होना है। यह निवेदन किया गया कि विधायी मंशा का

कानून में प्रयुक्त शब्दों का मतलब उनके समान्य अर्थ के अनुसार होना होता है।

13. इसके विपरीत, एस.एफ.आई.ओ. के विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इसी तरह का मुद्दा **राज कुमार मोदी बनाम गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय 2019:पीएचसीः133009,** में पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाया गया था। और उसे वही अस्वीकार कर दिया गया था।

14. इस न्यायालय का ध्यान अधिनियम की धारा 212(13) की ओर आकर्षित किया गया था, जिसके अनुसार केंद्र सरकार के निर्देशों पर, एस.एफ.आई.ओ. किसी कंपनी और उसके अधिकारी या कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति पर *"प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के मामलों से जुड़े"* के खिलाफ मुकदमा चला सकता है। यह इंगित किया गया था कि अधिनियम की धारा 212 (1) या धारा 219 के तहत किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में जांच के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता के लिए कोई शर्त नहीं है जो *"प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के मामलों से जुड़े"* है।

15. जहाँ तक याचिकाकर्ता सं. 2 का सवाल है, विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ने निवेदन किया था कि अधिनियम की धारा 219 के तहत पूर्व अनुमोदन केवल कंपनी के मामलों के संबंध में आवश्यक है। यह निवेदन किया गया कि एस.एफ.आई.ओ. द्वारा की गई जाँच 'मामला केंद्रित' है। यह निवेदन

किया गया था वर्तमान मामले में तथ्यों और परिस्थितियों में, एस.एफ.आई. ओ. ने याचिकाकर्ता सं.2 के मामलों की जाँच नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया था। यह निवेदन किया गया की चूँकि याचिकाकर्ता सं. 2 के मामले की जाँच नही की गई, इसलिए अधिनियम की धारा 219 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता नही थी जहाँ तक, याचिकाकर्ता सं.1 ने कहा था की वह बी.पी.एस.एल. के कंपनी सचिव के रूप में एक 'प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक' था और कंपनी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था।

16. अधिनियम की धारा 219 का शीर्षक *'संबंधित कंपनियों इत्यात्दी के मामलों में जांच' करने की निरीक्षक की शक्ति है।* उक्त प्रावधान निम्नलिखित संस्थाओं से संबंधित है:

क. कोई अन्य निगमित निकाय जो, किसी भी प्रासंगिक समय पर कंपनी की सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी, या अपनी होल्डिंग कंपनी की एक सहायक कंपनी है या रही है

ख. कोई अन्य निगमित निकाय जो किसी भी प्रासंगिक समय किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंध निर्देशक या प्रबंधक के रूप में है या प्रबंधन किया है जो उस कंपनी का प्रबंधन निर्देशक या प्रबंधक पर है या था;

ग. कोई अन्य निगमित निकाय जिसके निर्देशकों के बोर्ड में कंपनी के उत्तराधिकारी शामिल है या कंपनी या इसके कोई भी निर्देशकों के निर्देशों या सूचना के अनुसार कार्य करने के लिए परिचित है; या;

घ. कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रासंगिक समय पर कंपनी का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या कर्मचारी या रहा है।

17. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रतिविरोध यह तर्क है कि याचिकाकर्ता सं. 1 का मामला अधिनियम की धारा 219 (घ) के तहत आएगा और इसलिए, उक्त प्रावधान के संदर्भ में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी। अधिनियम की धारा 219 का शीर्षक, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, दर्शाता है कि उक्त प्रावधान कुछ 'संबंधित' कंपनियों की भूमिका से संबंधित है, जो अधिनियम की धारा 212 या अन्य प्रावधानों के तहत की जा रही जांच के दौरान सामने आया और इसलिए, अधिनियम की धारा 219 (क),(ख) और (ग) के सन्दर्भ में अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अधिनियम की धारा 219 (घ) के प्रावधन का अर्थ सजाति के नियम को लागू करके लगाया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ, ने **कवलाप्पारा में कोट्टाराथिल कोचुनी उर्फ़ मूपिल नायर बनाम मद्रास और केरल राज्य और अन्य, 1958 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी.12,** ने उक्त नियम की व्याख्या करते हुए कहा, जो कि निम्नानुसार है:

> "**52**..... नियम यह है कि जब सामान्य शब्द समान प्रकृति के विशेष और विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं, तो सामान्य शब्दों को उसी प्रकार की चीजों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जैसे कि निर्दिष्ट हैं। लेकिन यह स्पष्ट रूप से तय मामले से निर्धारित है कि विशिष्ट शब्दों को एक भिन्न प्रकार और वर्गीकृत

बनाना चाहिए। यह कानून का एक अनुलंघनीय नियम नहीं है, अपितु इसके विपरीत किसी संकेत के अभाव में यह केवल अनुमेय अनुदान है...."

वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 219 के उपरोक्त धारा (क),(ख) और (ग) को एक अलग श्रेणी या वर्ग, यानी 'संबंधित कंपनियाँ' के' रूप में समझना उचित है। उपर्युक्त खंडों के पीछे की भाषा और उद्देश्य उस कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामलों की जांच के संबंध में है जिसके लिए अधिनियम की धारा 212 के तहत जांच का आदेश दिया गया है। उस संदर्भ में, अधिनियम की धारा 219 के खंड (घ) उक्त धारा के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट कंपनी के 'प्रबंध निदेशक' या 'प्रबंधक' या 'कर्मचारी' पर लागू होगा।

18. यदि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि अधिनियम की धारा 219 (घ) कंपनी के प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या कर्मचारी, और, जिनके लिए अधिनियम की धारा 212 के तहत जिसके अनुमोदन दिया गया है, निम्नलिखित पर लागू होगा, तो भी यदि इस मामले में यदि निरीक्षक, धारा 219 (क), (ख) या (ग) के तहत उल्लिखित संबंधित कंपनियों की जांच के संबंध में अनुमोदन दिए जाने के बाद, उक्त संबंधित कंपनियों के प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या कर्मचारी की भूमिका में आस्मिक आता है, तो जांच के लिए कोई पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, संरक्षण केवल प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या कंपनी के कर्मचारी को दिया गया है जिनकों अधिनियम की धारा 212 के तहत जांच की

जा रही है और अधिनियम की धारा 219 (क), (ख) या (ग) के तहत जाँच की जा रही कंपनियों के प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या कर्मचारी के लिए नहीं है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, एक बार अधिनियम की धारा 212 के तहत जांच करने के लिए अनुमोदन दिया गया है किसी कंपनी की कार्यवही उक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या कर्मचारी से भी संबंधित होगी। अधिनियम की धारा 219 के तहत पूर्व-अनुमोदन की पूर्व-शर्त संबंधित कंपनियों और उनके प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या कर्मचारियों पर लागू होती है जैसा कि उक्त धारा में प्रदान किया गया है। यह ध्यान रखना और भी प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता सं.1, अधिनियम की धारा 2(51) के संदर्भ में 'प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक' होने के नाते अधिनियम की धारा 219 (घ) के संदर्भ में जांच के उद्देश्यों के लिए अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अधिनियम की धारा 219(घ) के प्रावधान, जैसा कि ऊपर समझाया गया है, याचिकाकर्ता सं.1 के मामले को सम्मिलित नहीं करेगा।

19. यह एक स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्ता सं. 3 का उल्लेख मूल आदेश में अधिनियम की धारा 212 के तहत एम.सी.ए. द्वारा दिनांक 03.05.2016 को जारी किया गया था। जहां तक याचिकाकर्ता सं. 2 का प्रश्न है, यह एस.एफ.आई.ओ. का मामला है कि चूंकि कंपनी के मामलों की जांच नहीं की जा रही थी, इसलिए अधिनियम की धारा 219 (क) के संदर्भ में किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। एस.एफ.आई.ओ. का मामला है कि चूंकि याचिकाकर्ता सं.2 के साथ बी.पी.एस.एल. के संबंध में केवल एक ही लेनदेन हुआ था, इसलिए,

उक्त कंपनी के मामलों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अधिनियम में 'कंपनी के मामले' को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन वाक्यांश के सामान्य अर्थ में, इसमें कंपनी के सभी पहलू और लेनदेन शामिल होंगे।

20. एस.एफ.आई.ओ. द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, याचिकाकर्ता सं. 2 और 3 के संबंध में आरोप इस प्रकार हैं:

4.13.14. जाँच करने पर यह पाया गया कि संजय सिंघल ने आर.पी.गोयल, अलकेश शर्मा और प्रविष्टि ऑपरेटरों के साथ मिलीभगत से बी.पी.एस.एल. से आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में धन और बी.पी.एस.एल. से गबन की गई वस्तुओं की बिक्री से उत्पन्न नकदी का गबन किया और कोलकाता और दिल्ली की विभिन्न पेपर कंपनियों के माध्यम से आदर्श इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और बी.एस.एन. एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के खातों में इसे पेश किया। बी.पी.एस.एल. से निकाले गए धन का इस्तेमाल श्री अंकलेश्वर कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित इंटरनेशनल ट्रेड टावर के फ्लैट नंबर 109 से 112 पर बी.पी.एस.एल. से अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। श्री अंकलेश्वर के निदेशक बी.पी.एस.एल./संजय सिंघल के कर्मचारी हैं/ थे। यह कंपनी संजय सिंघल द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित पाई गई है, जिसे उन्होंने शपथ पर भी स्वीकार किया है।

इसी तरह, सिल्वर स्टार कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी संजय सिंघल द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित है। 31.03.2017 (नोट-17.12) के तुलन-पत्र की जांच के बाद कंपनी ने अचल संपत्ति की खरीद के लिए कारपोरेट निकायों से असुरक्षित ऋण लिया है और भुगतान उसकी ओर से सीधे तीसरे पक्ष को अग्रिम रूप से किया गया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 10 करोड़ रुपये के ऋण की प्राप्ति दर्शाई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

पार्टी का नाम	**सिल्वर-स्टार द्वारा लिया गया ऋण वाणिज्यिक (राशी करोड़ में)**
भीमा एजेंसियां प्रा. लि.	0.20
के. जी. फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	1.00
रूटस्टार सामान प्राइवेट लिमिटेड	3.00
सर्वोत्तम प्रतिभूतियाँ प्राइवेट लिमिटेड	4.00
विनक्लिफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	0.80
जगधारा डीलकॉम प्रा. लि.	**1.00**
कुल	**10.00**

जैसा कि यहां ऊपर उद्धृत किया गया है, एस.एफ.आई.ओ. द्वारा दायर शिकायत से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कंपनी के मामलों की याचिकाकर्ता सं. 2 के लिए 'जाँच' की गई थी। और जैसा ऊपर उद्धृत आरोप की अधिनियम की धारा 219(ग) के तहत याचिकाकर्ता सं. 2 के मामले को कवर करेगा। हालाँकि, इस तरह की पूर्व मंजूरी न लेने का प्रभाव उसी तथ्य से वास्तव में याचिकाकर्ता सं. 2 के लिए संज्ञान प्रस्तुत नही करेगा जो की विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा अमान्य करार दिया गया। यह एस.एफ.आई.ओ. का मामला है कि याचिकाकर्ता सं. 2 के संबंध में अधिनियम की धारा 212(14) के तहत अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी दी गई है। यह स्थापित कानून है कि दोषपूर्ण जांच से विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा लिया गया संज्ञान अमान्य नहीं होगा| फर्टिको मार्केटिंग (पूर्वोक्त) में, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,

1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना जांच की वैधता के संबंध में एक मुद्दे की जांच करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"**22.** 1955 के शुरुवात में प्रश्न यह न्यायालय के समक्ष उठा था कि क्या प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के आदेश के बिना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947, की धारा 5(4) के तहत पुलिस उपाधीक्षक स्तर से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जाँच आज्ञापक थी या निर्देशात्मक थी| यह मानते हुए कि प्रावधान अनिवार्य है, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या और किस हद तक, ऐसे विचारण के पश्चात होने वाला मुकदमा दूषित है। इस न्यायालय ने एच. एन. रिशबुद बनाम दिल्ली राज्य, (1955) 1 एस.सी.आर. 1150: ए.आई.आर 1955 एस.सी 196:1955 सी.आर.आई. एल.जे. . 526], में निम्नानुसार विचार किया है (ए.आई.आर पी. 204, पैरा 9)

> "9. ..... यदि, जाँच से संबंधित अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन के कारण पुलिस रिपोर्ट पर तथ्य का संज्ञान लिया जाता है, यहां इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके बाद होने वाले विचारण के नतीजे को तब तक अपास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि जाँच में अवैधता को न्याय की विफलता के रूप में नहीं दिखाया जा सके। जांच के दौरान की गई अवैधता विचारण के लिए न्यायालय की क्षमता और अधिकारिता को प्रभावित नहीं करता जैसा कि *परभू बनाम किंग एम्परर* [*प्रभु बनाम किंग एम्परर*, 1944 एस.सी.सी. ऑनलाइन पी.सी.1:(1943-44) 71 आइ.ए. 75: ए. आई.आर. 1944 पी.सी. 73] और *लम्बरदार* जुत्शी बनाम आर. [*लम्बरदार जुत्शी* बनाम आर., 1949 एस.सी.सी. ऑनलाइन पी.सी. 64: (1949-50) 77 आइ.ए. 62:ए.आई.आर. 1950 पी. सी. 26] में उचित रूप से निर्धारित है

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जाँच के दौरान गिरफ्तारी की अवैधता से संबंधित हैं, जबकि हम वर्तमान मामलों में साक्ष्य एकत्र करने के लिए तंत्र के संदर्भ में अवैधता के साथ चिंतित हैं। इस भेद का पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता के प्रश्न पर प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु दोनों मामले स्पष्ट रूप से यह दिखाते हैं कि जाँच की अमान्यता का न्यायालय की क्षमता से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, हमारी स्पष्ट रूप से यह राय भी है कि जहाँ मामले का संज्ञान वास्तव में लिया गया है और मामला समाप्त होने की ओर बढ़ गया है, पूर्ववर्ती जाँच की अमान्यता परिणाम को तब तक दूषित करती है, जब तक कि न्याय की विफलता नहीं हो जाता॥"

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संज्ञान और मुक़दमे को तब तक अपास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि जाँच में अवैधता को न्याय की विफलता के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है की अवैधता का पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता का प्रश्न पर प्रभाव पड़ सकता है लेकिन जाँच की अवैधता का न्यायालय की क्षमता से कोई संबंध नही है।

23. दं.प्र.सं.की धारा 465 (एससीसी पीपी। 79-80, पैरा 14) के प्रावधानों पर विचार करते समय *कर्नाटक राज्य बनाम कुप्पुस्वामी गौंदर* [*कर्नाटक राज्य बनाम कुप्पुस्वामी गौंदर*, (1987) 2 एस.सी.सी. 74:1987 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 280], में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी ध्यान देंना उचित होगा।

"14. हालांकि, उच्च न्यायालय ने [*कुप्पास्वामी गौंडर बनाम कर्नाटक राज्य*, 1981 एस.सी.सी. ऑनलाइन कर 220:(1981) 2 कांत एलजे 509] में कहा कि इस मुकदमे को नियमित विचारण के लिए दं.प्र.सं. की धारा 465 के

प्रावधानों का उपयोग नही किया जा सकता है। इस निष्कर्ष के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है, दं.प्र.सं. की धारा 465 निम्नानुसार है:

465. निष्कर्ष या दंडादोश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा-(1) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन यह है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश, विचारण के पूर्व या दौरान परिवाद, समन, वारण्ट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्यवाही में हुई या इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाही में हुई किसी गलती, लोप या अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण अपील, पुष्टीकरण या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक न तो उलटा जाएगा और न परिवर्तित किया जाएगा जब तक न्यायालय की यह राय नहीं है कि उसके कारण वस्तुत: न्याय नहीं हो पाया है।

(2) यह अवधारित करने में कि क्या इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में किसी गलती, लोप या अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण न्याय नहीं हो पाया है न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या वह आपत्ति कार्यवाही के किसी पूर्वतर प्रक्रम में उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी।

यह प्रावधान किया गया है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित **निष्कर्ष या सजा** को केवल अनियमितता के आधार पर अपास्त नही किया जा सकता है यदि अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह नही होता है। यह विवादित नही है की यह प्रश्न न तो अभियुक्त द्वारा

विचारण से समय उठाया गया था और न ही विचारण में या अपीलीय स्तर पर कोई पूर्वाग्रह प्रस्तुत किया गया था और इसलिए किसी पूर्वाग्रह के अभाव में ऐसी तकनीकी आपत्ति सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश या सजा को प्रभावित नहीं करेगी| धारा 465 के अलावा, धारा 462 गलत स्थानों पर मुकदमे के मामलों में उपचार का प्रावधान करती है। धारा 462 इस प्रकार है:

'462. गलत स्थान में कार्यवाही- किसी दंड न्यायलय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि वह जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही जिसके अनुक्रम में उस निष्कर्ष पर पहुंचा गया था व ही दंडादेश या आदेश पारित किया गया था गलत सेशन खंड, जिला, उपखंड या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी उस दशा में ही अपास्त किया जाएगा जब यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती के कारण वस्तुत: न्याय नहीं हो पाया है।

यह प्रावधान एक निर्णय को भी बचाता है यदि विचारण गलत सत्र प्रभाग या उप-मंडल या जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुआ है और ऐसी त्रुटि केवल कुछ परिणाम हो सकती है यदि इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, अन्यथा ऐसी त्रुटि के आधार पर कोई निष्कर्ष या दंड देना अपास्त नहीं किया जा सकता है"।

24. इस न्यायालय ने *भारत संघ बनाम प्रकाश पी. हिंदुजा [भारत संघ बनाम प्रकाश पी. हिंदुजा,* (2003) 6 एस.सी.सी. 195:2003 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 1314], में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए *एच.एन. रिशबुद* [*एच. एन. ऋषभ बनाम दिल्ली राज्य,* (1955) 1 एस.सी.आर. 1150 ए.आई.आर. 1955 एस. सी. 196:1955 सी.आर.आई. एल.जे. 526] में इस प्रकार देखा हैः (*प्रकाश पी. हिंदुजा मामला [भारत*

संघ बनाम प्रकाश पी. हिंदुजा, (2003) 6 एस.सी.सी. 195:2003 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 1314], एस.सी.सी. पी. 210, पैरा 21)

> *"21.* ... न्यायालय ने परभू बनाम किंग एम्परर [प्रभु बनाम किंग एम्परर, 1944 एस. सी.सी. ऑनलाइन पी.सी. 1: (1943-44) 71 आई.ए. 75:ए.आई.आर.1944 पी.सी. 73] और लंबरदार जुत्शी बनाम आर. [लंबरदार जुत्शी बनाम आर., 1949 एस.सी.सी. ऑनलाइन पी.सी. 64: (1949-50) 77 आइ.ए 62: ए.आई. आर. 1950 पी.सी. 26] का उल्लेख करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि यदि वास्तव में जाँच से संबंधित एक आज्ञापक प्रावधान के उल्लघंन द्वारा शुरू की गई पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नही हो सकता है कि विचारण का परिणाम, जो इसके पश्चात आता है, को तब तक अपास्त नही किया जा सकता जब तक की जाँच में अवैधता को न्याय की विफलता के रूप में दिखाया जा सकता है और जाँच के दौरान की गई अवैधता न्यायालय के विचारण की क्षमता और अधिकारिता को प्रभावित नही करती है।
>
> यह कानूनी स्थिति होने के नाते, यहाँ तक कि इस तर्क को मानने के लिए कि सी.बी.आई. ने सी.वी.सी. के अनुमोदन के बिना आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में त्रुटि या अनियमितता की है, इस तरह के आरोप पत्र के आधार पर विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा लिए गए संज्ञान को अपास्त नहीं किया जा सकता है और न ही इसके अनुसरण में आगे की कार्यवाही को अभिखंडित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय [प्रकाश पी. हिंदुजा बनाम भारत संघ, 2002 एस.सी.सी. ऑनलाइन डी.ई.एल. 679: (2002) 64 डी.आर.जे. 34] ने अपराध का संज्ञान लेने और मामले की आगे की कार्यवाही को अभिखंडित करने में विद्वान विशेष

न्यायाधीश के आदेश को अपास्त करने में स्पष्ट रूप से गलती की है ॥",

25. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस तर्क के लिए भी कि सी.बी.आई. ने सी.वी.सी की मंजूरी के बिना आरोप पत्र प्रस्तुत करने में त्रुटि या अनियमितता की थी, इस तरह के आरोप पत्र के आधार पर विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा लिए गए संज्ञान को अपास्त नहीं किया जाएगा और न ही उसके अनुसरण में आगे की कार्यवाही को अभिखंडित किया जा सकता है।"

21. यह अभिलेख की बात है कि अधिनियम की धारा **212 (14)** के संदर्भ में एस.एफ.आई.ओ. द्वारा शिकायत दर्ज करने से पहले केन्द्र सरकार ने मंजूरी प्राप्त की गई है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ता सं. **2** पर एकल लेनदेन के लिए अभियोजन चलाया जा रहा है यह मुक़दमे के विचारण के दौरान याचिकाकर्ता सं. **2** के लिए हमेशा उपलब्ध रहा है कि वह यह प्रदर्शित कर सके कि अधिनियम की धारा 219 (ग) के तहत अनुमोदन प्राप्त नही करने के कारण न्याय की विफलता हुई ।

एस.एफ.आई.ओ. की शक्तियां केवल कंपनी अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने तक सीमित हैं।

22. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की योजना के साथ-साथ दं.प्र.सं. के अनुसार, एस.एफ.आई.ओ. की शक्ति केवल अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने तक सीमित है और इसलिए, भा.दं.सं. के विभिन्न प्रावधानों के तहत दायर जाँच और बाद में शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। इस

न्यायालय का ध्यान दं.प्र.सं. की धारा 4 और 154 की ओर आकर्षित किया गया था, जो निम्नानुसार प्रदान करता है:

> **"4. भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार**- (1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
>
> (2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधें के अनुसार किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए, की जाएगी।"
>
> "**154. संज्ञेय मामलों में इत्तिला**-(1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वही लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा:

23. यह बताया गया कि याचिकाकर्ता सं. 1 और 3 को भा.दं.सं. के तहत अपराधों के कथित कमीशन के लिए भी आरोपी बनाया गया है। दं.प्र.सं. के उपरोक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल

पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी ही भा.दं.सं. के तहत जांच शुरू कर सकता है। यह निवेदन किया गया था कि एस.एफ.आई.ओ. के किसी भी अधिकारी को ऐसी शक्ति नहीं दी गई है। **मनीष रंगारी (पूर्वोक्त)** पर भरोसा किया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

> "**7.** मैंने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और आवेदन पत्र और आवेदकों द्वारा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया है ऐसा करने के बाद, मेरा प्रथमदृष्टया विचार है कि उठाए गए विवाद आवेदकों द्वारा गुणा गुण हैं प्रथमदृष्टया,ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेते हुए दिनाँक 29/07/2019 के आपेक्षित आदेश को पारित करते हुए, विद्वान विशेष न्यायालय निम्नलिखित कानूनी पहलुओं का न्यायिक नोटिस लेने में विफत रहा, जो मामले की जड़ तक जाते है, इस प्रकार आपेक्षित आदेश को सहजभेदय बना दिया ।
>
> (क) 2013 के अधिनियम के तहत विभिन्न अपराध, जिनका संज्ञान लिया गया है, केवल दिनांक 12/09/2013 (धारा 449) और 01/04/2014 (धारा 129 और 217) से प्रभावी हुए हैं, जबकि एन.एस.ई.एल. के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अंतर्निहित कथित उल्लंघन सभी 31 जुलाई 2013 को या उससे पहले हुए हैं, जैसा कि एस.एफ.आई.ओ. की अपनी शिकायत के अनुसार विद्वान विशेष न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। इसलिए, प्रथम दृष्टया, अधिनियम 2013 के तहत आवेदकों का अभियोजन भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के तहत अस्वीकार्य प्रतीत होता है।
>
> (ख) **अधिनियम 2013 की धारा 212 (2) के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह देखा गया है कि एस.एफ.आई.ओ. के पास केवल उक्त अधिनियम के तहत अपराध की जाँच करने**

की अधिकारिता है। इसलिए, एस.एफ.आई.ओ. की जांच और दंड संहिता, 1860 और 1956 अधिनियम के तहत अपराधों के लिए बाद की शिकायत प्रथम दृष्टया अधिकारिता के बाहर प्रतीत होती है। एक विपरीत व्याख्या एस.एफ.आई.ओ. को अन्य कानूनों के तहत अन्य जाँच अभिकरणों की जाँच शक्तियों का अतिक्रमण करने की अनुमति देगी, जो विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है।

(ग) एन.एस.ई.एल. भुगतान चूक से उत्पन्न समान अंतर्निहित लेनदेन के लिए, एन.एस.ई.एल. और अन्य पहले से ही दंड संहिता, 1860 के तहत अपराधों के लिए एम.पी.आई.डी. न्यायालय और सी.बी.आई. कोर्ट, मुंबई के समक्ष अभियोजन का सामना कर रहे हैं। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार द्वारा एन.एस.ई.एल. के निरीक्षण के दौरान 1956 के अधिनियम के अंतर्गत पाए गए विभिन्न उल्लंघनों के लिए, एन.एस.ई.एल. और अन्य कंपनियां पहले से ही कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा दायर शिकायतों पर विद्वान जिला दंडाधिकारी, गिरगांव, मुंबई के समक्ष अभियोजन का सामना कर रही हैं। इस तथ्यात्मक स्थिति पर दूसरे पक्ष द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है। ऐसा होने के कारण, उसी अंतर्निहित लेनदेन के लिए एन.एस.ई.एल. और अन्य के बाद के अभियोजन भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) और दं.प्र.सं. की धारा 300 के तहत "दोहरे खतरे" के खिलाफ प्रतिबंध के उल्लंघन में प्रतीत होते हैं।

(घ) इसके अलावा, प्रथम दृष्टया, मुझे आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने में गुणागुण मिलती है कि एक बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्वोक्त) में 2019 की सिविल

> अपील संख्या 4476 में अपने निर्णय दिनांक 30/04/2019 के माध्यम से माना है कि एन.एस.ई.एल. के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर काउंटर पार्टी डिफॉल्ट के कारण कथित रूप से पैसे खोने वाले व्यापारियों के बकाये की वसूली में कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है, एस.एफ.आई.ओ. जाँच का संपूर्ण अधिकारिता आधार, जिसे केंद्र सरकार द्वारा कथित रूप से "सार्वजनिक हित" में 28 अक्टूबर 2016 के अपने आदेश के माध्यम से आदेश दिया गया था, अस्तित्व में नहीं है। इसके मद्देनजर, 31 अगस्त 2018 की एस.एफ.आई.ओ. जांच रिपोर्ट और एस.एफ.आई.ओ. द्वारा विद्वान विशेष न्यायालय के समक्ष दायर विषय शिकायत, अधिकारिता के बाहर प्रतीत होती है। आक्षेपित आदेश, इस प्रकार, सहजभेदय हो जाता है, कम से कम प्रथम दृष्टया, विचार के लिए मामला इस प्रकार बनाया जाता है"।
>
> (जोर दिया गया)

24. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ने निवेदन किया गया कि अधिनियम की धारा 212(2) और धारा 436(2) के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से इस तरह से बनाया जाना चाहिए जो केवल अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने के लिए एस.एफ.आई.ओ. की शक्ति को सीमित न करे। यह इंगित किया गया था कि अधिनियम की धारा 436(2) विद्वान विशेष न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों के अलावा किसी अन्य अपराध के विचारण को एक ही मुकदमे में करने की शक्ति देती है और इससे एस.एफ.आई.ओ. को जाँच के साथ-साथ अभियोजन करने की

अधिकारिता भी मिल जाएगी। **आशीष भल्ला (पूर्वोक्त),** में इस न्यायालय की एक समन्वय न्यायिक पीठ द्वारा पारित एक निर्णय पर भरोसा किया गया था, जिसमें एस.एफ.आई.ओ. द्वारा की जा रही जाँच का हिस्सा रहे इसी तरह के आरोपों के आधार पर इकनोमिक ओफेंस विंग द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को इस आधार पर अभिखंडित कर दिया गया था। चूंकि कंपनी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, इसलिए यह सामान्य अधिनियम, यानी भा.दं.सं. से अधिक महत्वपूर्ण होगा। पैरा 91 में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "इसके अलावा, आरोपों की समानता के कारण सम्मिलित, जिसमें, आक्षेपित प्राथमिकी में लगाए गए बाद के अभिकथनों पहले से ही सम्मिलित हैं और इस प्रकार एस.एफ.आई.ओ. द्वारा एम.सी.ए. को की गई पहली शिकायत दिनाँक 14.06.2021 के परिणामस्वरूप की गई कार्यवाही के दौरान विचार किया जाएगा"।

25. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने प्रत्युत्तर में, निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 436 (2) एस.एफ.आई.ओ. को भा.दं.सं. के तहत अपराधों की जांच करने की अधिकारिता नही देता। आगे यह निवेदन किया गया कि उक्त रोक अधिनियम में ही अंतर्निहित है। इस न्यायालय का ध्यान अधिनियम की धारा 212(15) और 212(17) की ओर आकर्षित किया गया, जो निम्नानुसार प्रदान करती हैं:

> **"212. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों की जाँच ।–**

*** *** ***

(15) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी कुछ समय के लिए, आरोप तय करने के लिए विशेष न्यायालय में दायर की गई जाँच रिपोर्ट को दंण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा दायर की गई रिपोर्ट मानी जाएगा।

*** *** ***

(17) (क) यदि गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच कर रहा है, तो कोई अन्य जांच अभिकरण, राज्य सरकार, पुलिस प्राधिकरण, आयकर प्राधिकारी जिसके पास ऐसे अपराध के संबंध में कोई जानकारी या दस्तावेज हैं, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को उसके पास उपलब्ध सभी जानकारी या दस्तावेज प्रदान करेंगे"

(ख) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय किसी भी जाँच अभिकरण, राज्य सरकार, पुलिस प्राधिकरण या आयकर प्राधिकारियों के साथ उपलब्ध किसी भी जानकारी या दस्तावेज को साझा करेगा, जो किसी भी अन्य कानून के तहत इसके द्वारा किसी अपराध या मामले की जाँच या छानबीन कि जा रही के सम्बंध में ऐसी जाँच करने वाली एजेंसी, राज्य सरकार, पुलिस प्राधिकरण या आयकर प्राधिकारियों के लिए प्रासंगिक या उपयोगी हो सकती है ।"

26. वर्तमान मुद्दे के अधिनिर्णय के प्रयोजन के लिए, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ दं.प्र.सं. को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 438 के तहत, यह प्रदान किया गया है कि दं.प्र.सं. विद्वान विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होगी। उक्त प्रावधान निम्नानुसार प्रदान करता है:

"438. विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही संहिता का आवेदन — इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन चलाने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा॥"।

इसी तरह, अधिनियम की धारा 436 (2) में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

"436. विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध।—

*** *** ***

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, कोई विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध का विचारण भी कर सकेगा, जिसके साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा।

दं.प्र.सं. की धारा 4 निम्नलिखित प्रावधान करती है:

"**4. भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार-** (1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधें के अनुसार किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या

अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए, की जाएगी।

यह ध्यान देंने योग्य है कि दं.प्र.सं. की धारा 4 (2) में प्रावधान है कि वर्तमान अधिनियम के तरह अन्य क़ानूनों के तहत अपराधों की जांच, दं.प्र.सं. के अनुसार की जाएगी, जब तक कि क़ानून अन्यथा प्रदान न करे। अधिनियम की धारा 212 (15) में प्रावधान है कि विद्वान विशेष न्यायालय के समक्ष दायर एक जाँच को दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा दायर रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा। दं.प्र.सं. की धारा 173 (2) में यह प्रावधान है कि जैसे ही जांच पूरी हो जाए *"पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट"।*

27. पूर्वोक्त प्रावधान को देखते हुए, अधिनियम की योजना के भीतर जांच रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा, इसलिए, उक्त रिपोर्ट दाखिल करने वाले अधिकारी को पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी भी माना जाएगा, हालांकि उक्त अधिनियम में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है। उक्त स्थिति को इस तथ्य से और बल मिलता है कि यदि अधिनियम की धारा 436(2) के तहत विद्वान विशेष न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों के अलावा अन्य अपराधों की सुनवाई करने की शक्ति दी गई है, तो एस.एफ.आई.ओ. की शक्ति को ऐसे अपराधों की जाँच करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। यदि वर्तमान अधिनियम के तहत जाँच के दौरान, संबंधित जाँच अधिकारी को भा.दं.सं. या जाँच किए जा रहे लेनदेन से संबंधित

किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय अपराधों का सामना करना पड़ता है, तो वह अलग-अलग कार्यवाही को जन्म नहीं दे सकता है। इस तरह की जांच दं.प्र.सं. की धारा 4 (1) के तहत की जा सकती है। यदि बाद में दर्ज की गई रिपोर्ट को दं.प्र.सं. की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट के रूप में माना जाता है, तो अधिकारी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, को पुलिस के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निहित माना जाना चाहिए

28. दं.प्र.सं. और वर्तमान अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधानों के संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण पठन से, यह नहीं कहा जा सकता है कि एसएफआईओ को भ.द.प्र. के तहत अपराध की जांच करने से रोक दिया गया है।

एस.एफ.आई.ओ. द्वारा आगे की जाँच

29. उपरोक्त अवलोकन के अनुरूप, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि एस.एफ.आई.ओ. द्वारा जाँच रिपोर्ट दायर करने के बाद आगे कोई जांच और पूरक आरोप पत्र नहीं हो सकता है, यह भी मान्य नहीं है क्योंकि दं.प्र.सं. की धारा 173 (8) स्पष्ट रूप से आगे की जांच के लिए प्रदान करती है, जैसा कि निम्नानुसार है:

> **"173. जाँच पूरा होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट।—**
>
> *** *** ***
>
> (8) इस धारा की कोई बात उपधारा (2) के अधीन प्रतिवेदन दंडाधिकारी को अग्रेषित किए जाने के पश्चात् किसी अपराध के संबंध में आगे जाँच को रोकने वाली नहीं समझी जाएगी और

> जहां ऐसी जाँच पर पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी और साक्ष्य प्राप्त करता है, मौखिक या दस्तावेजी वह दंडाधिकारी को विहित प्रपत्र में ऐसे साक्ष्य के संबंध में एक और रिपोर्ट या रिपोर्ट भेजेगा; और उप-धारा (2) से (6) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के संबंध में लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (2) के तहत अग्रेषित रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं।"

यह ध्यान रखना और भी प्रासंगिक है कि इस न्यायालय ने रिकॉर्ड का अवलोकन किया है और यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मिला है कि विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2022 को संज्ञान लेने के बाद, याचिकाकर्ताओं से कहा गया कि एस.एफ.आई.ओ. द्वारा किसी भी आगे की जाँच में शामिल हों।

निष्कर्ष

30. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय के निष्कर्षों को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:

i. याचिकाकर्ता स. 1, अधिनियम की धारा 2 (51) के संदर्भ में 'प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक' होने के नाते अधिनियम की धारा 219 (घ) के संदर्भ में जांच के उद्देश्यों के लिए अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अधिनियम की धारा 219 (घ) के प्रावधान, जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ता सं. 1 के मामले में लागू नही होता है।

ii. चूंकि शिकायत स्वयं दर्शाती है कि याचिकाकर्ता सं. 2 के मामलों के संबंध में जांच की गई थी, इसे अधिनियम की धारा 219 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा। हालांकि, इस तरह की पूर्व स्वीकृति नहीं लेने का प्रभाव इस बात से याचिकाकर्ता सं. 2 के लिए विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा लिए गए संज्ञान को अमान्य नहीं करेगा।

iii. दं.प्र.सं. और वर्तमान अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संयुक्त और सामंजस्यपूर्ण पठन से, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि एस.एफ.आई.ओ. को भा.दं.सं. के तहत अपराध की जाँच करने से रोक दिया गया है।

iv. एस.एफ.आई.ओ. को कानून के अनुसार 'आगे की जांच' करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

31. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाता है और तदनुसार इसका निपटारा किया जाता है।

32. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

33. अंतरिम आदेश दिनांकित 19.07.2023 समाप्त हो जाएगा।

34. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, वह मामले के गुणागुण पर एक राय नहीं है।

35. निर्णय को तत्काल इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।

न्या. अमित शर्मा

दिसंबर 21, 2023/*एसएन*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*